

कार्य मंत्रणा समिति
(सत्रहवीं लोक सभा)

नौवां प्रतिवेदन
(26.11.2019 को प्रस्तुत)

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, 25 नवंबर, 2019 को हुई।

2. समिति ने कार्य की निम्नलिखित मदों के लिए प्रत्येक के सामने दर्शाए गए समय के नियतन की सिफारिश की है:—

- | | |
|---|----------|
| 1. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 (विचार तथा पारित करना) | } 2 घंटे |
| 2. पोत पुनर्चक्रण विधेयक, 2019 (विचार तथा पारित करना) | } 3 घंटे |
| 3. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 (विचार तथा पारित करना) | } 3 घंटे |
| 4. औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 (विचार तथा पारित करना) | } 4 घंटे |
| 5. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) विधेयक, 2019 (विचार तथा पारित करना) | } 1 घंटा |
| 6. विशेष संरक्षा गुप (संशोधन) विधेयक, 2019 (विचार तथा पारित करना) | } 2 घंटे |

नई दिल्ली;
25 नवम्बर, 2019
4 अग्रहायण, 1941 (शक)

ओम बिरला
सभापति,
कार्य मंत्रणा समिति।